राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जालोर (राज.)

क्रमांक : खअ/जालोर/निविदा/2021/ 1826 दिनांकः24/09/2021

खनिज बजरी निलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि अभियन्ता जालोर के कार्यालय क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना भीनमाल परिसर में जब्तशुदा बजरी स्टॉक की मात्रा 255 मै.टन की निलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे मे निविदा दरे आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त बजरी स्टॉक की निलामी में भाग लेने हेतु कार्यालय से नीलामी आवेदन प्रपत्र दिनांक 27.09.2021 से 29.09.2021 तक कार्यालय समय में कमरा नम्बर 02 से प्राप्त किया जा सकेगा। सीलबन्द नीलामी आवेदन पत्र में अपनी दरे अंकित कर दिनांक 29.09.2021 को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा कराये जा सकेगे। प्राप्त निविदाऐ दिनांक 30.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 02 में खोली जायेगी जिसका विवरण निम्नानुसार हैं।

क.स.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पडी हैं	खनिज बजरी की मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि रुपये	न्यूनमत निविदा राशि रुपये
1	पुलिस थाना परिसर भीनमाल	255	13000/–	130000/–

निलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "**कार्यालय खनि अभियंता, जालोर में बजरी निलामी हेतु आवेदन**", लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता, जालोर (राज.) के कमरा नम्बर 02 में टेण्डर बॉक्स में दिनांक 29.09.2021 को सांय 5:00 तक डाली जा सकेगी।
2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जालोर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/ निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में पुलिस थाना भीनमाल परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जब्तशुदा बजरी क्षैत्र/परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक **30.09.2021** को प्रातः 11:00 उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय **खनि अभियंता जालोर** में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि अधिकतम 15 दिवस ही अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

Scanned with CamScanner

7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित क्षेत्र/परिसर की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग लेबर व परिवहन ईत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी। इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादी को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

9. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निलामी खनि अभियंता जालोर के पास सुरक्षित होगें।

10. बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थित में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा।

11. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया गया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

12. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षैत्र के संबधित नम्बर अंकित अधिकारियों को Whatsapp पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।

13. नीलाम की गई बजरी को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

14. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

15. स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनेां से अनुमत नहीं होगा।

17. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।

18. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

19. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, जालोर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

20. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

21. सभी विवादों का न्याय क्षैत्र जालोर होगा।

22. उक्त निलामी को स्थगित करने, निलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(खनि अभियन्ता)
सहायक खनि अभियंता
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
जालोर (राज.)

Scanned with CamScanner

क्रमांक : खअ/जालोर/निविदा/2021/1827-1836 दिनांक: 24/09/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर-जोन, जोधपुर
4. श्रीमान जिला कलक्टर, जालोर
5. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालोर
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर वृत, जोधपुर।
7. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना भीनमाल
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा,
9. अवैध खनन शाखा कार्यालय हाजा ।
10. रक्षित पत्रावली।

24/9/2021

सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग
जालोर (राज.)

Scanned with CamScanner